


23+  
17

पञ्जावली प्रेश इव' ,

कारी व उसके अधिकारों को कार-कार कावाजे  
लगावी गयी । कावपूर कावाजे न्यायालय में अनुपस्थित  
हैं तथा न ही उनकी तरफ से कोई वैधानिक प्रतिक्रिया  
उपस्थित है। अतः इन परी आदेश लागू - कानून  
पैरवी में खारिज दिया जावे।  
पञ्जावली के लाल अकार टैडर दाखिले स्फर है।

  
(मुदारी लाल शर्मा)  
R.A.S

उपखण्ड अधिकारी  
लाडनू (नागौर)